21/24 तहसील नीमकाथाना

[illegible] उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना [illegible] निरस्तीकरण पत्रावली [illegible] को पेश की अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निवेदन पर पत्रावली अग्रिम पेश हुई। तकसीम प्रार्थी के प्रकरण में कोई प्रेरक विषय है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र पारिवारिक कोर्ट प्रेषण के खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक शुमार हो कर रूम बुक होकर दाखिल दफ्तर है।

17/11/24

अपर कलक्टर, नागौर